



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 02 नवंबर 2023

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 37

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली दंगों की साजिश मामले में नए सिरे से जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम और खालिद सैफी सहित कई आरोपियों की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुद्गल को मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद आया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुद्गल ने कम से कम तीन जमानत याचिकाओं में फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कौत और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कौर की खंडपीठ जनवरी 2024 में अपीलें पर सुनवाई शुरू करेगा। शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान सहित आरोपी व्यक्तियों ने जमानत याचिका दायर की है। मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक और अन्य शामिल हैं।

बिहार में चलती ट्रेन में छेड़खानी और छीनाझपटी, आरोपी को यात्रियों ने पकड़ा

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। त्योहारों के मौके पर ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है तो चोर, उच्चक भी हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, 02563 क्लोन एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में एक महिला से छेड़खानी और छीनाझपटी की घटना प्रकाश में आई है। हालांकि यात्रियों ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक, 02563 क्लोन एक्सप्रेस से अपने पति के साथ यात्रा कर रही एक महिला का आरोप है कि बरौनी से ट्रेन खुलने वाली थी, वह शौचालय गई थी। वहां से निकलने के दौरान एक युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो उसने कान की बाली भी छीने का प्रयास किया। महिला का शोर सुनकर यात्री पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रेल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने इसको लेकर मुजफ्फरपुर रेल थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। आरोपी युवक की पहचान छपरा के नयागांव निवासी गुजेंद्र साह के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि रेल थाना मुजफ्फरपुर ने मामले में जीरो एफआइआर दर्ज कर आरोपी युवक और एफआइआर की कॉपी बरौनी रेल थाना को भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

असम में बेकरी कर्मचारी ने की सहकर्मी की हत्या

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम के होजई जिले में एक बेकरी कर्मचारी की बुधवार को उसके सहकर्मी ने हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। घटना जिले के अभयपुर इलाके में स्थित रुचि बेकरी की है। धनेश्वर डेका पर कथित तौर पर उनके सहकर्मी उपेन कारी ने डंडे से हमला किया था। अपराध का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक, कारी ने पीड़ित पर लकड़ी के डंडे से बार-बार हमला किया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेकरी से चला गया। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

अब टूथ जेल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे पायलेट-कू मेंबर

डीजीसीए ने लगाई पाबंदी



नई दिल्ली (आरएनएस)। विमान के पायलट और कू मेंबर उड़ान के दौरान अब माउथवॉश, टूथ जेल या फिर ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय ने इसे लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विमान नियामक की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया है ताकि 'ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट' में पॉजिटिव रिजल्ट आ पाए। छत्रपुत्र ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या

टूथ जेल के इस्तेमाल से 'ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट' में साकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। यह कदम विमान परिचालन को सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया है। डीजीसीए ने कहा कि उसने विमानन उद्योग से मिले सुझाव के आधार पर मौजूदा नियमों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है। हालांकि, इसके प्रारूप

में परफ्यूम को भी शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। नियामक ने 30 अक्टूबर को जारी गाइडलाइंस में कहा, "चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा/ फॉर्मिलेशन का सेवन नहीं करेगा या माउथवॉश/टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल

की मात्रा हो। ऐसी दवा लेने वाले चालक दल के सदस्य को उड़ान से पहले कंपनी के डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होगा।"

डीजीसीए के मुताबिक, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी वाले श्वास विश्लेषक उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और एंजिनियों की निगरानी एवं निरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। विमानन कंपनियों को सही ढंग से दवा लेने के लिए डीजीसीए ने श्वास विश्लेषक परीक्षण से गुजरने वाली इकाइयों का दायरा बढ़ा दिया है। चालक दल एवं सहयोगी स्टाफ के हरेक सदस्य को उड़ान ड्यूटी के पहले हवाई अड्डे पर सांस की जांच करानी होगी।

संगमरमर के स्वर्ण जड़ित आठ फीट ऊंचे 'सिंहासन' पर विराजमान होंगे रामलला, राजस्थान के कारीगर कर रहे तैयार

अयोध्या (आरएनएस)। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला संगमरमर के स्वर्ण जड़ित आठ फीट ऊंचे 'सिंहासन' पर विराजमान होंगे। राजस्थान के कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा यह सिंहासन आगामी 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि आठ फीट ऊंचे, तीन फीट लंबे और चार फीट चौड़े सिंहासन को राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। इस पर पांच साल पुरानी रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। मिश्रा ने बताया कि भगवान राम के भक्तों ने भी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की वस्तुएं दान की हैं। उनका कहना था



कि चूंकि ट्रस्ट के गठन से पहले और बाद में दान की गईं ये सोने-चांदी की वस्तुएं, सिक्के और ईंटें पिघल जाएंगी, ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें पिघलाकर सुरक्षित रखा जाएगा

तथा यह कार्य एक प्रतिष्ठित संस्था के मार्गदर्शन में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का भूतल 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार कर लिया जाएगा और प्रथम तल का काम भी 80 फीसदी तक पूरा हो चुका

है। मिश्रा ने बताया कि परिक्रमा मार्ग के फर्श का काम भी पूरा हो चुका है, अब गृह मंडप के फर्श पर संगमरमर बिछाने का काम चल रहा है। उनके अनुसार यात्री सुविधा केंद्र की तीनों मंजिलों की छत का निर्माण हो चुका है एवं सुरक्षा उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की बाहरी दीवार ('परकोटा') के प्रवेश द्वार का काम भी अंतिम चरण में है और यह काम भी नवंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। उनके अनुसार पहली मंजिल के 17 खंभे लगाए जा चुके हैं और केवल दो खंभे लगाए जाने बाकी हैं। उन्होंने 15 दिसंबर तक पहली मंजिल की छत बन जाने की उम्मीद जताई।

पहली बार एयरफोर्स के 10 एमआई-17 हेलिकाप्टरों से बस्तर के 158 मतदान केंद्रों पर भेजी जाएंगी पोलिंग पार्टी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब छह दिन बच गए हैं। सात नवंबर को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 20 विधानसभा सीटों पर पोलिंग होगी। इनमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की चार, कवर्धा की दो और मोहला मानपुर, खैरागढ़ की एक-एक सीटें शामिल हैं। देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित बस्तर के लिए चुनाव आयोग ने इस बार तगड़ी तैयारी की है। हालांकि, बस्तर में 126 नए मतदान केंद्र बनाने की वजह से पहली बार ऐसा होगा कि इन गांवों के लोग अपने गांव में वोटिंग करेंगे। फिर भी 158 मतदान केंद्रों पर इस बार भी हेलिकाप्टरों से मतदान दल भेजे जाएंगे। ये इलाका बेहद दुर्गम और नक्सल प्रभावित है। वहां सड़क मार्ग से पोलिंग पार्टी को भेजना संभव नहीं होगा। क्योंकि, उन इलाकों में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बारूदी

सुरंगें बिछा कर रखी हैं। वहां फोर्स भी काफी सतर्कता और रोड ओपनिंग पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही जा पाती है। इस बार के चुनाव में खुफिया इनपुट्स भी हैं कि बैकफुट पर जा रहे नक्सली अपने अस्तित्व के लिए चुनाव के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाने ने बताया, रोड कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने और फोर्स के कैम्पों की संख्या बढ़ने की वजह से हेलिकाप्टरों से भेजे जाने वाले मतदान दलों की संख्या इस बार कम हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 212 मतदान दलों को हेलिकाप्टर से भेजा गया था। इस बार यह संख्या 158 है। उन्होंने बताया, पांच साल में बस्तर में दुर्गम और नक्सल प्रभावित है। वहां सड़क मार्ग से पोलिंग पार्टी को भेजना संभव नहीं होगा। क्योंकि, उन इलाकों में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बारूदी



हेलिकाप्टरों की व्यवस्था की गई है। इन हेलिकाप्टरों से 158 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया और वापस लाया जाएगा। इसके अलावा एक एयर एंबुलेंस और एक हेलिबुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। इस दफा पहली बार ऐसा होगा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाले 70 सीटों के चुनाव के लिए भी रायपुर में एयरएंबुलेंस और हेलिबुलेंस लाए जाएंगे। अफसरों का कहना है कि कई बार मतदान पार्टियों को ले जाते या लौटते समय घटनाएं हो जाती हैं, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर एयर और हेलिबुलेंस का बंदोबस्त किया गया है।

राज्य के 2457 शतायु मतदाता करेंगे अपना मतदान

18-19 आयु वर्ग के सवा सात लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

प्रदेश के टायपुट शहर उत्तर में हैं सबसे अधिक तृतीय लिंग के मतदाता

80 वर्ष से अधिक तथा दिव्यांग 6447 मतदाताओं ने दिखाई डाक मतपत्र में रुचि

रायपुर। राज्य में दो चरणों में हो रहे विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रदेश के 2 करोड़ 3 लाख 93 हजार 160 मतदाता अपने मतदाताओं की संख्या 7 लाख 29 हजार 267 है, जो पहली बार अपने मतदाताओं की संख्या 17 है।

पुरुष तथा महिला मतदाताओं के साथ ही तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) के 753 मतदाता विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मतदाताओं का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रायपुर शहर उत्तर में सबसे अधिक 96 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इसी प्रकार रायपुर शहर के चारों विधानसभा क्षेत्रों रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर दक्षिण और रायपुर ग्रामीण को मिलाकर कुल 275 ट्रांसजेंडर मतदाता अपने मतदाताओं का प्रयोग कर सकेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7 लाख 29 हजार 267 है, जो पहली बार अपने मतदाताओं की संख्या 17 है।

उल्लेखनीय है कि कुल 2 करोड़ 3 लाख 93 हजार 160 मतदाताओं में 1 करोड़ 1 लाख 35 हजार 561 पुरुष तथा 1 करोड़ 2 लाख 56 हजार 846 महिला मतदाता हैं। प्रदेश के 2,457 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने जीवन के सौ वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत से अब तक के साक्षी हैं। आयु में 80 वर्ष के अधिक उम्र तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे ही डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है, जिसका लाभ उठाते हुए 6447 वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं ने डाक से मत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में 19 हजार 907 सेवा मतदाताओं अपने मतदाताओं का प्रयोग कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या 17 है।

100 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 101.5 रुपये की बढ़ोतरी की, जो 1 नवंबर से ही लागू है। संशोधित दरों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1,731 रुपये से बढ़कर 1,833 रुपये होगा। एक महीने में यह दूसरी बार है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 1 अक्टूबर को 209 रुपये प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए गए थे।

मुंबई में एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,785.50 रुपये होगी, वहीं कोलकाता में लोगों को इसके लिए 1,943 रुपये चुकाने होंगे और चेन्नई में इसकी कीमत 1,999.50 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर



की कीमत तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा बढ़ा दी गई है। हालांकि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली घरेलू एलपीजी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर टाली सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) के तहत जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि वह नवंबर में ही याचिका पर सुनवाई करेगी और मामले की सुनवाई इस महीने की 30 तारीख को करना तय किया। पीठ ने टिप्पणी की कि उसे यह पता लगाना होगा कि क्या ज्योति का मामला उसी मामले में अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत देने



में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आता है। ज्योति की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही वर्नों गॉसाल्वेस और अरुण फेरेरा को जमानत दे चुकी है। दोनों कार्यकर्ताओं को इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने

विचारधीन कैदी के रूप में उनकी 5 साल की कैद की अवधि को देखते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने सितंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।

ज्योति ने जमानत देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनआईए ने पहले ही जगताप और अन्य के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को महाराष्ट्र के पुणे के शनिवारवाड़ा में कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एल्यार परिषद के दौरान लोगों को उकसाने और उत्तेजक भाषण देने से संबंधित है, जिसने कथित तौर पर विभिन्न जाति समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई।

ईडी का बड़ा एक्शन, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल सहित अन्य की 538 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक फ्रॉड के एक मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में 538 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की है। इससे पहले ईडी ने 31 अक्टूबर को नरेश गोयल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये के फ्रॉड से जुड़ा है। इसी मामले में ईडी ने नरेश गोयल को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी की ओर से जारी बयान के मुताबिक मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में अलग-अलग कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर 17 आवासीय

फ्लैट/बंगले और कॉमर्शियल कैम्पस शामिल हैं। बता दें कि मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के फाउंडर नरेश गोयल हैं। ईडी ने गोयल की पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल को भी आरोपी बनाया है। ईडी ने केनरा बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में केनरा बैंक की ओर से मेसर्स द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए गए थे। ईडी की जांच से पता चला कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड ने एसबीआई और पीएनबी के नेटवर्क वाले बैंकों से लिए लोन की हेराफेरी की। नरेश गोयल ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जेट एयरवेज के बैंक सेंट्रल में छेड़छाड़ की गई और प्रावधान करके ऋणों को बड़े खाने में डाल दिया गया।